कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 215/2019 निर्णय दिनांक :– 05.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. घीसालाल पुत्र गेन्दया जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मन्नी पुत्री गेन्दया जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. चेतन पुत्री बदरी जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. दुर्गा पत्री बदरी जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. नाथी पुत्री बदरी जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. राजी पुत्री बदरी जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. गोयली देवी पत्नी बदरी जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

– डिक्रीदारान –

बनाम

1. जगदीश पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोपाल पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बादाम पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लाडा पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0(मृतक)
5. कान्ता पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. नाथी पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

~~7. शंकरलाल पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)~~

7/1 किशनलाल पिसरान शंकरलाल पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तन गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

7/2 सत्यनारायण पिसरान शंकरलाल पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तन गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

7/3 गोपी पिसरान शंकरलाल पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तन गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

7/4 धर्मराज पिसरान शंकरलाल पिसरान नन्दा जाति बलाई निवासी राजमहल तन गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

7/5 कैलाशी पुत्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

7/6 जगदीशी पुत्री शंकरलाल पत्नी गोपाल जाति बलाई निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

7/7 मनभर पत्नी पुत्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी गोवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

~~8. भज्जालाल उर्फ विजयकुमार पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली (मृतक)~~

8/1 प्रहलाद पुत्र भज्जालाल उर्फ विजयकुमार निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

9. मोहनलाल पुत्र कालू जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. महेन्द्र पुत्र कल्याण जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. छोटी बेवा कल्याण जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. माधो पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–मदयूनान–

उपस्थिति :–
अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रमेशचन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या
7/1 ता 7/7 व 8/1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व
5 ता 6, 9 ता 12

प्रार्थना पत्र इजराय

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 2–4–2008 को निर्णित कर दिया गया था और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना मे इजराय प्रस्तुत कर दी गयी थी और उक्त इजराय की पालना में नामान्तरकरण सं. 676 खोल दिया गया था लेकिन नामान्तकरण खोलते समय डिक्रीदारान मे से कुछ डिक्रीदारान के नाम नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा खोलने से रह गया था। निर्णय के पेरा–ड– मे वर्णित लादू पुत्र लाखा, शंकर, माधो, विजयलाल पिसरान, पुष्पा, राधा, रूकमा पुत्रीया रामदेव, मुत० धापू बेवा रामदेव के नाम तो ख. नं. 1240, 784/1, 783, का नामान्तरकरण खोल दिया गया थाा लेकिन सहवन से घासी बद्री, पुत्र मन्नी पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दया जाति बलाई के नाम नामान्तरकरण नही खोला गया था बदरी व सुन्दर बेवा गेन्दया का देहान्त हो गया है, डिक्रीदारान उनके जायज कायम मुकामान है । उक्त प्रकरण की कोई अपील भी पेश नही की गयी है ओर किसी भी न्यायालय से कोई स्थागन ओदश भी नही हे अभी डिग्री को पारित हुरे 12 वर्ष से अधिक का समय भी नही हुआा हे । अतः इजराय प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–4–2008 को शेष डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जी देवली को तहरीर जारी की जावे ।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/7 व 8/1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं कर अपने तथ्य सीधे ही बहस में बताने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण संख्या 7/7 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 04.02.2020 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । जिसके लिए अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने वकालतनामा पेश किया परन्तु एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रार्थना पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 7/7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही रही।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 5 ता 6, 7/7 व 9 ता 10 व 12 वाबजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 4 के विरूद्ध हजफ की कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली को उक्त इजराय बाबत पत्र लिखा गया जिसके बाबत तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:— न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय मुकदमा संख्या 737/97 निर्णय दिनांक 02.04.2008 द्वारा ग्राम गांवडी के साबिक ख0नं0 1240 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 784 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 783 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है0 निर्णय अनुसार लादू पुत्र लाखा, शंकर, माधो, विजयलाल पुत्र पुष्पा, राधा रूकमा पुत्रिया रामदेव मु0 धापू बेवा रामदेव, घासी बद्री पुत्र मन्नी पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दिया जाति बलाई साकिन राजमहल खातेदार के नाम दर्ज किया जाना था परन्तु उक्त निर्णय का अमल करने हेतु ग्राम गांवडी का नामान्तकरण 676 दर्ज करते समय खातेदार लादू पुत्र लाखा, शकंर, माधो विजयलाल पुत्र पुष्पा, राधा रूकमा पुत्रिया धापू बेवा रामदेव, कौम बलाई साकिन राजमहल खातेदारी के नाम ही नामान्तकरण दर्ज किया गया तथा शेष खातेदार घासी, बदरी पुत्र मन्नी पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दिया जाति बलाई साकिन राजमहल खातेदार के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार गांवडी से नया राजस्व ग्राम रूपारेल बनने से ग्राम गांवडी के साबिक ख0नं0 783 रकबा 0.39 है0, 2223/784 रकबा 0.23 है0 के हाल ख0नं0 ग्राम रूपारेल में ख0नं0 361 रकबा 0.39 है0, 362/650 रकबा 0.23 है0 बने है। ग्राम गांवडी के साबिक ख0नं0 1240 रकबा 0.29 है0 के बजाय ग्राम गांवडी के हाल ख0नं0 319 रकबा 0.29 है0 बने है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड तीनों ख0नं0 किशन लाल, गोपीलाल, धर्मराज, सत्यनारायण, जगदीश पुत्र शंकरलाल, कैलाशी पुत्री शंकरलाल, मनभर पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/14 माधों, विजयलाल पुत्र पुष्पा, रूकमा, राधा पुत्रिया धापू पत्नी रामदेव हिस्सा 3/7 लादू पुत्र लाखा हिस्सा 1/2 जाति बलाई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए इजराय की पालना तहसीलदार से करवाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में नियमानुसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.04.2008, व स्वीकृत नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम गांवड़ी दिनांक 07.07.08 का अवलोकन किया। निर्णय दिनांक 02.04.2008 के पेरा—ड— मे वर्णित लादू पुत्र लाखा, शंकर, माधो, विजयलाल पिसरान, पुष्पा, राधा, रूकमा पुत्रीया रामदेव, मुत० धापू बेवा रामदेव व घासी बद्री, पुत्र मन्नी पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दया जाति बलाई के नाम तो ख. नं. 1240, 784/1, 783 के लिए डिक्री जारी की गई है परन्तु नामान्तकरण दिनांक 07.07.08 ख. नं. 1240, 784/1, 783 में लादू पुत्र लाखा, शंकर, माधो, विजयलाल पिसरान, पुष्पा, राधा, रूकमा पुत्रीया रामदेव, मु0 धापू बेवा रामदेव के नाम तो ख. नं. 1240, 784/1, 783, का नामान्तरकरण में दर्ज है लेकिन घासी बद्री, पुत्र मन्नी

पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दया जाति बलाई के नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं है। उक्त त्रुटि बाबत तहसीलदार देवली से स्पष्टीकरण लिया गया तथा तत्कालीन पटवार हल्का रमेश सिंह राजावत को नाटिस देकर व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके लिए प्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने जवाब में उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुए लिखा कि प्रार्थी ने जानबूझ कर किसी प्रविष्टि का विलोपन नहीं किया है तथा न ही प्रार्थी की किसी प्रकार की दुर्भावना थी। अतः अनजाने में/ सहवन से हुई इस गलती का प्रार्थी कों खेद है तथा इस गलती के हेतु प्रार्थी क्षमा चाहता है। अतः प्रार्थी के जवाब पर सहानुभुतिपूर्वक विचार कर नोटिस कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे। बदरी व सुन्दर बेवा गेन्दया का देहान्त हो गया है, डिकीदारान उनके जायज कायम मुकामान है । उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा घासी बद्री, पुत्र मन्नी पुत्री सुन्दर बेवा गेन्दया जाति बलाई का नाम नामान्तकरण भरते समय छोड़ा गया जो उसकी लापरवाही को दर्शाता है और तत्कालीन भू. अभि. निरीक्षक द्वारा भी गहनतापूर्वक जांच नहीं की गई जो जांच का विषय है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 737/97 निर्णय डिकी दिनांक 02.04.2008 की पालना न्यायालय द्वारा जारी डिकी अनुसार पक्षकारान की जांच कर पालना करे तथा तत्कालीन प. ह. श्री रमेश सिंह राजावत के विरूद्ध उक्त प्रकरण में दुर्भावना/लापरवाही करने की गहनता से जांचकर यदि दोषी पाया जावे तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 05.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली